कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज0)
दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

क्रमांक / ननिको / डे–एनयूएलएम / 2024 / 8347–55 दिनांक : 14/08/24

आश्रय स्थल संचालन हेतु इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाओं से
NIT/निविदा प्रस्ताव

क्र.सं.	स्थान का नाम	विवरण
1	न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में आश्रय स्थल	स्थायी

आश्रय स्थल के सुचारू संचालन के लिए आश्रय स्थल में सफाई व्यवस्था, बिजली, पानी, बिस्तर प्रबन्धन एवं अनुदानित दर पर भोजन व्यवस्था इत्यादि करने हेतु समाजसेवी संस्थाऐं, गैर सरकारी संगठन व अन्य पंजीकृत संस्थाओं से प्रस्ताव मांगे जाते हैं। इच्छुक संस्थाऐं संचालन प्रस्ताव एवं शर्तो की जानकारी नगर निगम कोटा (दक्षिण) से प्राप्त कर सकते हैं। धरोहर राशि रूपये 12000/– एवं इच्छा अभिरूचि शुल्क 500/– के साथ दिनांक 23.08.24 को सांय 5 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। डी.डी./पे–ओर्डर आयुक्त नगर निगम कोटा (दक्षिण) के नाम देय होगा।

शर्तें :–

1. निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार नगर निगम कोटा (दक्षिण) में निहित होगा।
2. संवेदक संस्थाओं को अपना ई.पी.एफ. पंजीयन कोड देना अनिवार्य होगा।
3. सशर्त निविदाऐं मान्य नहीं होगी।
4. अन्य जानकारी कार्यालय समय में कार्यालय कमरा नं. 405 से प्राप्त की जा सकती है।
5. उक्त निविदा वेब साईट www.sppp.raj.in व udh.rajasthan.gov.in/nnks पर देखी जा सकती हैं।
6. कार्मिको को भुगतान बैंक खाते में किया जायेगा तथा संवेदक द्वारा भुगतान के साक्षय प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों के साथ संलग्न करने होगें।
7. कार्मिको के मानदेय में से पी.एफ. खाते में जमा के साक्ष्य संवेदक को बिल के साथ प्रस्तुत करने होगें।
8. न्यूनतम मजदूरी दरों से कम को स्वीकार नहीं की जायेगी।

आयुक्त
नगर निगम कोटा दक्षिण
दिनांक : 14/08/24

क्रमांक / ननिको / डे–एनयूएलएम / 2024 / 8347–55
प्रतिलिपि–

1. माननीय महापौर महोदय नगर निगम कोटा दक्षिण।
2. उप महापौर महोदय नगर निगम कोटा दक्षिण।
3. नेता प्रतिपक्ष महोदय नगर निगम कोटा दक्षिण।
4. अति0 आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण।
5. मुख्य लेखाधिकारी नगर निगम कोटा दक्षिण।
6. उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण।
7. पुस्तकालध्यक्ष नगर निगम कोटा नियमानुसार राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करावें।
8. ओसवाल डाटा/एनआईसी को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को अपलोड करावें।
9. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर निगम कोटा दक्षिण

NIT HOME SHELTER SK

NIT/निविदा हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

NULM के तहत कोटा में आश्रय स्थलों के संचालन हेतु निविदा प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप –:
नगर निगम कोटा दक्षिण का स्थायी आश्रय स्थल जो कि निम्नानुसार है।–

क्र.सं.	स्थान का नाम	विवरण
1	न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में आश्रय स्थल	स्थायी

क्र.सं.	विवरण	
1	नाम समाज सेवी संस्था/सरकारी संगठन/पंजीकृतसंस्थं/गैर सरकारी संस्थां का विवरण :– (i) संस्था/संगठन का नाम व रजिस्टर्ड कार्यालय का पूर्ण पता (ii) संस्था के मुखिया का नाम, पता, ई–मेल व मोबाईल न. (iii) ईओआई हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता, ई–मेल व मोबाईल न.	
2	डिमाण्ड ड्राफ्ट का विवरण (i) इच्छा अभिरूचि शुल्क . (ii) डिमाण्ड ड्राफ्ट न. दिनांक राशि (iii) धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट न. दिनांक राशि	
3	नाम समाज सेवी संस्था/सरकारी संगठन/पंजीकृतसंस्थाऐं/गैर सरकारी संस्थाऐं के पंजीयन का विवरण	

प्रभारी NULM
नगर निगम, कोटा दक्षिण

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा दक्षिण

(भंवरलाल अग्रवाल)
मुख्य लेखाधिकारी
नगर निगम कोटा उत्तर

4	(अ) ई.पी.एफ. पंजियन प्रमाण पत्र (ब) ई.एस.आई पंजियन प्रमाण पत्र	
5	स्वयं सेवी संस्था का टर्नऑवर	6.00 लाख रूपये से अधिक का होना आवश्यक हैं।
6	आश्रय स्थल के संचालन हेतु प्रस्ताव	सर्विस चार्ज
	1) प्रबन्धक (एक) (कुशल श्रमिक) (वेतन श्रम विभाग अनुसार) (मय ESI+PF)	रू .... प्रतिदिन मजदूरी पर 5 प्रतिशत ....से कम राशि स्वीकार नहीं
	2) केयर गिवर (तीन) (प्रतिदिन प्रत्येक पारी हेतु एक) (अर्द्धकुशल श्रमिक) वेतन श्रम विभाग अनुसार (मय ESI+PF)	रू .... प्रतिदिन मजदूरी पर 5 प्रतिशत ....से कम राशि स्वीकार नहीं
	3) सफाई कर्मचारी (एक) (अर्द्धकुशल श्रमिक) वेतन श्रम विभाग अनुसार (मय ESI+PF) प्रातः 7 बजे से 11 बजे व दोपहर 2 बजे से सांय 6 बजे तक	रू .... प्रतिदिन मजदूरी पर 5 प्रतिशत ....से कम राशि स्वीकार नहीं
	4) नल	बिल अनुसार न.नि.को. द्वारा देय।
	5) विधुत (बिजली)	बिल अनुसार न.नि.को. द्वारा देय।
	6) बिस्तर प्रबन्धन (धुलाई कार्य) एक माह में चार बार	प्रति नग – हर कॉलम में दर अंकित करना अनिवार्य (जो शुल्क है मान्य रहेगी)
	(A) रजाई मय कवर	
	(B) गद्दे मय कवर	
	(C) चद्दर (बेड शीट)	
	(D) तकिये मय कवर	
	कुल दर प्रति सेट	
	7) पीने का पानी (4 केम्पर प्रतिदिन) प्रति केम्पर दर आवश्यकता अनुसार बडायी या घटायी जा सकती हैं।	
	8) स्टेशनरी (परिसम्पति रजिस्टर, लेखा रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, मिटिंग रजिस्टर, स्टाफ रजिस्टर, शेल्टर प्रबन्धन गति विधि रजिस्टर, एवं सुझाव (शिकायत) रजिस्टर	**एक वर्ष की** **कुल राशि**

प्रभारी NULM
नगर निगम, कोटा दक्षिण

उपायुक्त
नगर निगम, कोटा दक्षिण

NIT HOME SHELTER SK

निविदा प्रस्तुत करने वाले
अध्यक्ष/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि
हस्ताक्षर ....
नाम ....
पद ....
दिनांक ....
मो. न. ....
ई–मेल ....

(भंवरलाल अग्रवाल)
मुख्य लेखाधिकारी
नगर निगम कोटा उत्तर

आश्रय स्थलों के संचालन हेतु शर्ते :–

1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की गाईड लाईन के अनुसार शैल्टर/आश्रय स्थल का संचालन करना अनिवार्य होगा।
2. आश्रय स्थल (शैल्टर) चयनित/चिन्हित आवासहीनों के लिए 24 घण्टे 7 दिन उपलब्ध रहेगा।
3. आश्रय स्थल (शैल्टर) महिला/पुरूष/वृद्धजन/निशक्तजन परिवारों के लिए अलग–अलग हिस्सों में संचालित किया जाएगा।
4. संचालनकर्ता संस्था द्वारा प्रतिदिन आश्रय स्थल/शौचालय/मूत्रालय की समय–समय सफाई व कीटनाशक पदार्थो से धुलाई की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी।
5. संचालनकर्ता संस्था द्वारा क्षमता के दस प्रतिशत लोगो जैसे वृद्ध/अशक्त/निशक्तजन व बच्चो को भोजन पोष्टिक, शुद्ध व ताजा खाना निशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा अन्य को अनुदानित दर पर कराया जायेगा।
6. संचालन संस्था द्वारा आश्रय स्थल पर प्रकाश की व्यवस्था हेतु समुचित उपकरण/कूलर/पंखा आदि की व्यवस्था समय–समय पर करनी होगी।
7. संचालनकर्ता संस्था द्वारा प्रत्येक शैल्टर हेतु एक पूर्ण कालिक प्रबंधक व प्रत्येक आठ घण्टे के लिए एक केयरगिवर (कुल 3 केयर गियर) स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी।
8. संचालनकर्ता संस्था द्वारा प्रत्येक शैल्टर पर शैल्टर परिसंपति रजिस्टर, प्रतिदिन आय–व्यय के लिए लेखा रजिस्टर, शैल्टर में ठहरने वाले व्यक्तियो के का विवरण रजिस्टर व उपस्थिति रजिस्टर, स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर, शैल्टर मैनेजमेन्ट कमेटी मीटिंग रजिस्टर, स्टाफ का रजिस्टर शैल्टर के प्रबंधन/व्यवस्था की गतिविधियों का रजिस्टर व शिकायत व सुझाव रजिस्टर की उपलब्धता शैल्टर पर सुनिश्चित करनी होगी।
9. संचालनकर्ता संस्था को निर्धारित अवधि में स्थानीय पार्षद, नगर निकाय के प्रतिनिधी (क.लि. स्तर से कम नही) शैल्टर के केयर टेकर, शैल्टर के दो प्रतिनिधी (महिला की उपलब्धता पर न्यूनतम एक महिला) को शामिल करते हुए शैल्टर की निगरानी हेतु प्रबंधन समिति का गठन करना होगा और इस समिति की माह में न्यूनतम दो बैठक आवश्यक होगी। जिसकी मिनट्स जारी की जाकर CPO NULM को भिजवानी होगी एवं संचालन के संबंध में मासिक प्रगति रिर्पोट की CPO NULM को भिजवानी होगी।
10. संचालनकर्ता संस्थाओं को समय समय पर आश्रय स्थलों पर मोसमी मच्छरों/कीटों से बचाव के लिए कीटनाशकों का छिडकाव करवाना होगा तथा प्रतिदिन मच्छरों से बचाव के लिए उपयुक्त उपकरणों/रसायनों का उपयोग करना होगा।
11. संचालनकर्ता संस्थाए आश्रय स्थल के निवासियों को पहचान प्रमाण पत्र (जैसे मतदाता फोटो पहचान कार्ड, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड आदि) जारी करवाने व बैंक खाता खुलवाने तथा सरकारी विभागों से सम्पर्क कर वृद्धावस्था/विधवा अथवा निशक्त जनों को उचित पेंशन दिलवाने में सहयोग करेंगी।
12. आश्रय स्थल संचालनकर्ता संस्था द्वारा आश्रय स्थल में रहने वाले बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाने व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल करवाने का कार्य व बिमार व्यक्तियों का सार्वजनिक अस्पतालों के माध्यम से इलाज करवाये जाने में मार्गदर्शन व सहयोग करेगीं।
13. आश्रय स्थल संचालनकर्ता संस्था आश्रय स्थल में रहने वाले लोगों को फ्री कानूनी सुविधा दिलाई जाने में और बेघरों को राजीव आवास योजना से जोडने में मदद करेंगी।
14. आश्रय स्थलों पर निवासरत व्यक्ति यदि संदिग्ध पाया जाता है तो संचालनकर्ता उसकी सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन पर करें व CPO NULM को अवगत करायेगा।
15. संचालन कार्य संतोषप्रद होने पर अवधि बढाई जा सकती हैं।

प्रभारी NULM
नगर निगम कोटा दक्षिण

उपायुक्त
नगर निगम कोटा दक्षिण

(भंवरलाल अग्रवाल)
मुख्य लेखाधिकारी
नगर निगम कोटा उत्तर

16. संचालनकर्ता द्वारा कोई भी अनियमितता अथवा असंतोषप्रद कार्य पाए जाने पर प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
17. आश्रय स्थल पर आने वाले व्यक्तियों से किसी प्रकार का शुल्क वसूल न किया जाए। पालना नहीं होना पाया जाने पर 1000/– रू की राशि आरोपित होगी।
18. प्रत्येक आश्रय स्थल पर उपलब्ध सामान (गद्दे, कमबल, टी.वी, आदि) की सूची प्रस्तुत करें एवं सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
19. राज्य सरकार के निर्देशानुसार गैर सरकारी संगठन (NGOs)/संस्था को दो या तीन से अधिक आश्रय स्थलों का संचालन का कार्य नहीं दिया जावें।
20. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं भारत सरकार द्वारा जारी परियोजना के दिशा निर्देशानुसार संचालन कार्य सुनिश्चित करें।
21. संस्थाओं की समान दरें प्राप्त होने पर गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) को प्राथमिकता दी जावेगी, एक से अधिक (NGOs) होने की स्थिति में पारदर्शी पद्धति से निर्णय लॉटरी द्वारा किया जावेगा।
22. संचालनकर्ता द्वारा संस्था में नियोजित किए जाने वाले कार्मिक/श्रमिक का पी.एफ. एवं ई. एस.आई. नियमानुसार जमा करवाना होगा एवं बिल के साथ जमा के चालान प्रस्तुत करने होगें।
23. न्यूनतम मजदूरी (श्रम विभाग द्वारा निर्धारित) नियमों की पालना करनी होगी।
24. न्यूनतम मजदूरी दरों एवं पी.एफ. + ई.एस.आई. को जोडकर ही दरें प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
25. शून्य दर व निःशुल्क दर मान्य नहीं होगी। साथ ही सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
26. प्रबन्धक, केयर गिवर, सफाई कर्मचारी की दरें श्रम विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होने एवं सभी संवेदकों की दरें समान होने पर टेण्डर के एल वन का निर्धारण बिस्तर, प्रबन्धन (ए+बी+सी+डी) व पीने का पानी व स्टेशनरी की दरों को जोड कर कम दर के आधार पर किया जायेगा।
27. एरिया लेवल फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत आवेदन में फेडरेशन के सदस्यों द्वारा मीटिंग आयोजित कर कार्य करने की सहमति के प्रस्ताव की नकल साथ में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इस प्रस्ताव को संबंधित नगर निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित करना होगा। कोटा नगर निगम दक्षिण एएलएफ को प्राथमिकता दी जायेगी।
28. Black listed (काली सूचि) में शामिल संस्था आवेदन की पात्र नहीं होगी।
29. उक्त समस्त शर्त मेरे द्वारा पढ कर समझ ली गयी हैं तथा में समस्त शर्तो की पालना करने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर संवेदक

आयुक्त
नगर निगम, कोटा दक्षिण

प्रभारी
N.U.L.M.
नगर निगम,कोटा

जवाहर लाल जैन
RAS
अति० आयुक्त
नगर निगम कोटा दक्षिण

(भंवरलाल अग्रवाल)
मुख्य लेखाधिकारी
नगर निगम कोटा